न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

(RCMS No. :-2019/00076)

अपील नम्बर :– 33/2019

उनवानी प्रकरण :–

1. उदय सिहं पुत्र बहादुर सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर———————————अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बसेड़ी————— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 5.8.2019 तहसीलदार बसेड़ी प्र.सं. 1/19 उनवानी राज0 सरकार बनाम उदय सिहं अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री राजेन्द्र सिहं राना अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–13.11.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेड़ी के निर्णय दिनांक 5.8.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिकमी मानते हुए अर्थदण्ड एवं सजा का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश विधि विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की कोई तामील व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई, अपीलान्ट के सम्मन की तामील परिवार के सदस्य पर होना बताकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट को दोषी ठहराये जाने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना भविष्य में सरकारी जगह पर कोई अतिक्रमण करेगा, अपीलान्ट इस आशय का शपथ पत्र पेश कर देगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 20.8.2019 की सम्बन्धित पटवारी के माध्यम से हुई है। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 5.8.2019 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 5.8.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्ट की बैक पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से दिनांक 20.8.2019 को हुई । जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवित रूप से अपीलान्ट पर हुई हैं नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट के स्वंय के हस्ताक्षर हो रहे हैं तथा निर्णय दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में स्वंय उपस्थित हुआ था जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 25.7.2019 एवं 5.8.2019 से होती है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट म्याद बाहर होने के कारण अपील खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट म्याद बाहर प्रस्तुत होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)